



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269797
CG-DL-E-03022026-269797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]
No. 72]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1415).—भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1396) दिनांक 01 जनवरी 2026 (प्रकाशित दिनांक 06 जनवरी 2026) अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (4) में — ‘आई एस 733 - 1983 पिटवाँ एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्रधातु वार्स, छड़ें और सेक्षन के लिए विशिष्टि (सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए) (तीसरा पुनरीक्षण) के पश्चात आई एस 1285 : 2023 सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों हेतु पिटवाँ एल्यूमीनियम एवं एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं से बनी एक्सटूडेड गोल नलियाँ एवं खोखले सेक्षन — विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण) को जोड़ें।’

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग और ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./647/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 2nd February, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1415).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1396) dated 01 January 2026 (Published on 06 January 2026)

SI No. 01, column (4) of schedule — ‘Add IS 1285 : 2023 Wrought Aluminium and Aluminium Alloys — Extruded Round Tube and Hollow Sections for General Engineering Purposes — Specification (Fourth Revision) after IS 733 - 1983 Specification for Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Bars, Rods and Sections (For General Engineering Purposes) (Third Revision)’.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./647/2025-26]